संख्या-85/2018/1758(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित अभिलेख पूर्व जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त कर नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुए जांच आख्या शासन में 01 माह मे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- पूर्व जॉच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ को प्रश्नगत अनुशासनिक जांच से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध कराते हुये शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

4- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-सोनभद्र द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- श्री अशोक कुमार उपाध्याय, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रा0अभि0वि0, पी0आई0यू0-सोनभद्र सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभि0 वि0, उ0प्र0 लखनऊ।

6- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

htt ://shas nadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।